न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / रसद / 15 / 2019

फूलचन्द उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत मवई तहसील डीग , जिला भरतपुर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 11.09.2019 वमुकदमा सरकार बनाम फूलचन्द संख्या 21 / 2019 अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 12.02.2020**

अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 11.09.2019 इस आशय की प्रस्तुत की है कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली सं0 21 / 2019 के साथ अन्य पत्रावलियों को जिनमें अलग अलग तारीखें नियत थीं,उन्हें उक्त पत्रावली के साथ संलग्न कर एक साथ फैसला कर दिया,जबकि प्रत्येक पत्रावली में आरोप अलग अलग थे । पत्रावली सं0 30 / 2017, 50 / 2017, 53 / 2017, 58 / 2017, 62 / 2017, 92 / 2017 की पत्रावलियों में गत दो वर्षों से कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न इनमें कोई तारीख पेशी नियत की गई । अपीलान्ट ने इन पत्रावलियों में कई बार जबाव देने की कोशिश की गई लेकिन तहत न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण अपीलान्ट जबाव प्रस्तुत नहीं कर सका । तहत न्यायालय की कार्यवाही कानूनी प्रावधानों के विपरीत है । पत्रावली सं0 104 / 2017 में अपीलान्ट ने शिकायत कर्ताओं के शपथ पत्र प्रस्तुत किये थे जिनकी जांच के लिए दिनांक 26.07.2019 नियत थी किन्तु आज तक कोई जांच नहीं की गई है । अपीलाधीन आदेश में अधिकांश पत्रावलियों में अपीलान्ट पर राशनकार्ड में इन्द्राज नहीं करने व खाद्य सूची में नाम न होने के बाबजूद राशन वितरण करने सम्बन्धी आरोप लगाये गए हैं । अपीलान्ट ने उन्हीं उपभोक्तओं को राशन दिया है जो पोस मशीन में दर्ज हैं और उनको वायोमैट्रिक पहिचान के बाद ही राशन दिया गया है । यदि पोस मशीन में उपभोक्ता दर्ज नहीं होता तो उसे राशन नहीं मिलता । राशनकार्ड में इन्द्राज भीड़ अधिक होने से रह जाते हैं व कई बार उपभोक्ता जान बूझ कर डीलर से चुनावी रंजिस के तहत झूंठे आरोप लगाकर शिकायत कर देते हैं । इस प्रकार अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहत न्यायालय द्वारा प्रत्येक पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार

.....2

कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2019 निरस्त प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे । अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है । पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि तहत न्याययालय द्वारा पत्रावली सं0 21/2019 के साथ अन्य पत्रावलियों को जिनमें अलग अलग तारीखें नियत थीं के साथ संलग्न कर एक साथ निर्णय कर दिया है जबकि प्रत्येक पत्रावली में आरोप अलग अलग थे । पत्रावली सं0 104/2017 में अपीलान्ट ने शिकायत कर्ताओं के शपथ पथ प्रस्तुत किये गए थे, जिनकी जांच कर जांच रिपोर्ट भी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पेश नहीं की गईं ।इस कारण अपीलाधीन आदेश रिकार्ड के विपरीत है । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया कि राशनकार्ड में इन्द्राज नहीं करने व खाद्य सूची में नाम न होने के बावजूद डीलर पर राशन वितरण करने सम्बन्धी लगाये गए आरोप कतई स्वीकार नहीं है क्योंकि खाद्य सूची में नाम का न होना विभागीय कमी है । अपीलान्ट ने वायोमैट्रिक पहिचान करने के बाद ही पोस मशीन में दर्ज उपभोक्ताओं को ही राशन सामग्री दी गई है । अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि राशन वितरण के समय अधिक भीड़ होने के कारण राशन कार्ड में इन्द्राज होने से रह जाते हैं। कई बार उपभोक्ता डीलर से चुनावी रंजिस के तहत झूंठे आरोप लगाकर शिकायत करते हैं । कुछ दो चार उपभोक्ताओं को छोड़ कर अपीलान्ट के विरूद्ध उपभोक्ताओं की कोई शिकायत नहीं है।तहत न्यायालय द्वारा प्रत्येक पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का आदेश दिनांक 11.09.2019 निरस्त कर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया है कि फूलसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत मवई के विरूद्ध एक के बाद एक लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थीं तथा पोस मशीन के नवीन प्रयोग के समय पोस मशीन से ऑफ लाइन वितरण भी हो रहा था तथा खाद्य सुरक्षा सूची उस समय ऑनलाइन न होकर ऑफलाइन थी। उचित मूल्य क दुकानदारों को सूची में पुष्टि होने पर वितरण पोस द्वारा करना था क्योंकि ऑनलाइन रिकार्ड में शुरू के समय गलत सीडिंग के कारण अनेक अशुद्धियां थीं । इन बातों का डीलर द्वारा सूची से भिन्न वे उपभोक्ता जिनका ऑनलाइन रिकार्ड खाद्य सुरक्षा सूची में सहवन से yes था, का गेंहूँ ऑफलाइन निकाला गया है या ऑनलाइन एक बार अंगूठा लगवाकर दो या तीन राशन सामग्रियों का वितरण धोखे से दर्शाकर राशन सामग्री का दुर्पयोग किया है । उसका

.....3

पता उपभोक्ताओं को ई–मित्र के माध्यम से राशनकार्ड पर वितररित सामग्री की जानकारी होने पर उपभोक्ताओं ने डीलर के विरूद्ध एक के बाद एक 09 शिकायतें की गईं तथा इस बावत प्रकरण सं0 30/17, 50/17, 55/17, 58/17, 62/17, 92/17 व 104/17 तथा 18/19 व 21/19 डीलर के विरूद्ध दर्ज किये गए ,जिसमें 128 लीटर कैरोसिन , 13.75 क्विण्टल गेंहूॅ व 3 कि.ग्रा.चीनी का गबन करना पाया गया। एक प्रकरण में डीलर के विरूद्ध सूचना के अधिकार के तहत सूचना नहीं देना पाया गया है । पैरोकार रसद ने यह भी कथन किया कि डीलर को उक्त प्रकरणों में बार बार नोटिस जारी करने व नोटिस तामील होने के उपरांत भी 7 प्रकरणों में नोटिस का जबाव नहीं दिया गया है । डीलर के अधिवक्ता का यह कथन कि एक प्रकरण में प्रस्तुत जबाव में संलग्न शपथ पत्रों की जांच नहीं की गई, तर्क हीन है क्योंकि शपथ पत्र पश्चातवर्ती सोच का परिणाम है। प्रकरण में तो ऑनलाइन रिकार्ड ,राशनकार्ड व उपभोक्ताओं के वर्णन पर डीलर को आरोपित किया गया है। जानबूझ कर जबाव नहीं देना भी आरापों की स्वीकारोक्ति ही है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है ।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश में प्रकरण पत्रावली सं0 30/2017, 50/2017, 55/17, 58/17, 62/17, 92/17, 104/17, 18/19, एवं 21/19 का एक ही निर्णय से निस्तारण किया गया है। उक्त सभी प्रकरणों में अपीलान्ट डीलर के खिलाफ उपभोक्ताओं ने नियंत्रित सामग्री नहीं देने बाबत शिकायत की गई है। योग्य अभिभाषक के तहत न्यायालय द्वारा पृथक पृथक निर्णय किये जाने के ऐतराज पर प्रत्येक प्रकरण पर गौर करते हुये विवेचन निम्न प्रकार हैः–

प्रकरण संख्या 30/17 में उपभोक्ता चरनसिंह ने डीलर द्वारा राशन नहीं देने की शिकायत की गई है, इस पर प्रवर्तन अधिकारी रसद ने अपनी जॉच में राशन कार्ड संख्या 200001038224 का ऑनलाईन ट्रान्जेक्शन निकलवाया गया जिसमें जुलाई 2016 से जनवरी 2017 तक नियममि रुप से गेहूं एवं कैरोसीन का ट्रांन्जेक्शन दर्ज है, ई.ओ. ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य भी अंकित किया है कि पोस मशीन से कैरासीन के वितरण के साथ गेहूं का ट्रान्जेक्शन किया गया है परन्तु डीलर द्वारा उपभोक्ता को गेहूॅ नहीं दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि डीलर अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ता के साथ पोस मशीन पर अंगूठा लगवाकर गेहूं नहीं दिया गया। अपीलान्ट का यह कृत्य राजसरकार द्वारा गरीब उपभोक्ताओं को देय गेहूं को नहीं दिया गया है जो अपीलान्ट की बदनीयत एवं नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है।

.....4

प्रकरण संख्या 50/2017, में भी डीलर के खिलाफ उपभोक्ताओं ने ऑनलाईन राज0सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत की गई थी जिस की जॉच प्रवर्तन अधिकारी रसद द्वारा की गई। प्रवर्तन अधिकारी रसद ने अपनी विस्तृत जॉच रिपोर्ट दिनांक 18.3.17 में शिकायतकर्ताओं के राशनकार्डो का उल्लेख करते हुये बताया है कि डीलर द्वारा खा़द्य सुरक्षा सूची में नाम नहीं होने के बाबजूद पोस मशीन से गलत सीडिंग का फायदा उठाकर गेहूं का फर्जी ट्रांन्जेक्शन कैरोसीन वितरण के दौरान किया जाना पाया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट डीलर का यह कृत्य मनमना एवं नियमों के वितरीत है।

तहत पत्रावली प्रकरण संख्या 55/17 के अवलोकन से जाहिर है कि डीलर के खिलाफ उपभोक्ताओं ने ऑनलाईन राज0सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत की गई हैं, जिसकी जॉच प्रवर्तन अधिकारी रसद द्वारा गई । प्रवर्तन अधिकारी रसद की जॉच रिपोर्ट दिनांक 1.3.17 में शिकायतकर्ताओं के राशनकार्ड का उल्लेख करते हुये अंकित किया है कि डीलर द्वारा राशनकार्ड पर पोस मशीन से गेहूं का अवैध ट्रान्जेक्शन कर उपभोक्ताओं का गेंहू ना देकर राशन सामग्री का दुरुपयोग किया गया है। इस से स्पष्ट है डीलर अपीलान्ट ने कूट रचित तरीके से नियंत्रित खाद्य सामग्री का उपभोक्ताओं का वितरण नहीं किया जाकर दुरुपयोग किया है।

तहत पत्रावली प्रकरण संख्या 58/17 के अवलोकन से जाहिर है कि आवेदक सौरनसिंह द्वारा आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर अपीलान्ट डीलर की दुकान से सम्बन्धित आवश्यक वस्तुओं की वितरण सूचना चाहे जाने पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने वांछित रिकार्ड प्रस्तुत करने को अपीलान्ट डीलर को जरिये पत्र क्रमांक रसद/1575 दिनांक 1.12.2016 से लिखा गया, परन्तु अपीलान्ट डीलर द्वारा सूचना से सम्बन्धित वांछित रिकार्ड जिला रसद अधिकारी भरतपुर को उपलब्ध नही कराया गया और नांही कोई जबाब दिया गया है। अपीलान्ट का यह कृत्य अपने उच्च अधिकारी के आदेशों की अवहेलना एवं हठधर्मिता को दर्शाता है।

तहत पत्रावली प्रकरण संख्या 62/17, 92/17, 18/19, के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं ने राज.सम्पर्क पोर्टल पर अपीलान्ट डीलर के खिलाफ शिकायत र्दज कराई गई हैं। जिस की जॉच प्रवर्तन अधिकारी रसद द्वारा गई है। उक्त तीनों प्रकरणों में उपलब्ध प्रवर्तन अधिकारी रसद की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा पोस मशीन से नियंत्रित सामग्री का पोस मशीन से अवैध ट्रान्जेक्शन तो किया है, परन्तु ट्रांन्जेक्शन के बाद उपभोक्ताओं को मिलने वाली

.....5

सामग्री को उपलब्ध न कराया जाना जाहिर आया है। इस से स्पष्ट है डीलर अपीलान्ट ने उपभोक्ताओं को धोखे में रखकर नियंत्रित खाद्य सामग्री का उपभोक्ताओं का वितरण नहीं किया जाकर दुरुपयोग किया है।

तहत पत्रावली प्रकरण संख्या 104/17 के अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध प्रवर्तन अधिकारी रसद की जांच रिपोर्ट दिनांक 26.7.2017 के अवलोकन किया गया है। प्रवर्तन अधिकारी रसद ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट में मौके पर उपभोक्ताओं के लिये गये बयानात एवं जांच से स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर उपभोक्ताओं को पोस मशीन से ट्रान्जेक्शन कर उपभोक्ताओं को नियंत्रित सामग्री नहीं देने की अनियमितताऐं करना अंकित किया है। योग्य अभिभाषक का यह कहना कि अपीलान्ट डीलर ने कुछ पांच उपभोक्ताओं के डीलर के हक में शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। कथित शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। सभी कथित पांचों शपथ पत्रों में एक ही भाषा अंकित की गई है। उपभोक्ताओं ने शपथ पत्रों में अंकित किया है कि :–

''.....मैने पूर्व में डीलर ग्रांम पंचायत मवई डीलर फूलचंद के विरुद्ध शिकायत की थी.....अब मैं फूलचंद डीलर से सन्तुष्ट हूॅ.....।''

इस कथन से यह तो स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं को डीलर अपीलान्ट से नियंत्रित सामग्री नहीं मिलने की शिकायत तो थी, जो जांच में सही पाई गई है। ये कथित शपथ पत्र डीलर द्वारा बाद की सोच के तहत तैयार कराये जाकर पेश किये गये हैं। इन कथित शपथ पत्रों के आधार पर अपीलान्ट डीलर द्वारा किये गये कृत्य को माफ नहीं किया जा सकता है।

इसी प्रकार तहत पत्रावली प्रकरण संख्या 21/2019 के अवलोकन किया गया। तहत पात्रावली में उपलब्ध प्रवर्तन निरीक्षक रसद जांच रिपोर्ट दिनांक 14.5.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर के खिलाफ जिला रसद अधिकारी के पास आई शिकायत के सम्बन्ध में प्रवर्तन निरीक्षक रसद द्वारा जांच की गई है। जॉच रिपोर्ट में डीलर द्वारा पोस मशीन से ट्रांजेक्सन किये जाने के बाबजूद उपभोक्ताओं को कैरोसीन का वितरण नहीं किया गया है। डीलर द्वारा ऑन लाईन ट्रांजेक्शन किया गया है जब कि सम्बन्धित उपभोक्ताओं के राशन कार्डो में कैरोसीन का इन्द्राज नहीं किया गया है । उपभोक्ताओं ने भी कैरोसीन प्राप्त करना नहीं बताया है। वक्त जांच तैयार की गई फर्द मौका में भी इस बाबत सभी शिकायतकर्ता उपभोक्ताओं ने अपने हस्ताक्षर किये हैं। इस से स्पष्ट है कि डीलर द्वारा नियंत्रित खाद्य सामग्री का उपभोक्ताओं का वितरण नहीं किया जाकर दुरुपयोग किया है। जहॉ तक प्रश्न तहत न्यायालय में अपीलान्ट का जबाब नहीं लेने का है, इस सम्बन्ध

.....6

में अपीलान्ट को तहत न्यायालय को जबाब के लिये समय दिया गया है। परन्तु केवल दो प्रकरणों 21 / 19,104 / 17 में जबाब पेश किया गया है। अपीलान्ट तहत न्यायालय में उपस्थित हुआ है, उपस्थिति के हस्ताक्षर तहत न्यायालय की पत्रावलीयों की आर्डरसीट से प्रमाणित है। अपील की मद संख्या 5 में स्वयं अपीलान्ट इस बात को स्वीकार करता है कि भीड भाड़ अधिक होने की बजह से राशनकार्डों में इन्द्राज रह जाते हैं। इससे यह सिद्व होता है कि डीलर अपीलान्ट द्वारा नियंत्रित सामग्री का पोस मशीन में ट्रांजेक्शन करने के बाद राशन सामग्री का उपभोक्ताओं को पूर्ण वितरण नहीं किया जाकर राशनकार्डो में सामग्री का इन्द्राज ना कर दुरुपयोग किया गया है। इस बात की पुष्टी मौके पर प्रवर्तन स्टाफ द्वारा की गई जांच एवं उपभोक्ताओं से पूछताछ जो कि पत्रावलीयों में उपलब्ध है से अपीलान्ट डीलर द्वारा किये गये कृत्य की पुष्टी होती है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट डीलर के खिलाफ कुछ ही समय में उपभोक्ताओं ने नियंत्रित सामग्री वितरण नहीं करनें एवं पोस मशीन पर ट्रांजेक्सन करने के उपरान्त राशन सामग्री वितरण में अनियमितता करने सम्बन्धी 09 शिकायतें प्राप्त होना यह दर्शाता है कि अपीलान्ट डीलर नियत्रित सामग्री का दुरुपयोग करने का आदी है। अपीलान्ट डीलर द्वारा राजसरकार द्वारा गरीब उपभोक्ताओं को मिलने वाली सामग्री से महरुम किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट डीलर किसी प्रकार का रिलीफ पाने का हकदार नहीं रहता है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली जिला रसद अधिकारी भरतपुर को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.2.2020 को सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.02.28 17:18:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: